न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

निर्मला बनाम कैलाश वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 202/2025 (अजमेर)

रिमाण्ड 28/4/25

	श्री शौकिन्दलाल गुर्जर	
28.04.2025	निर्मला बनाम कैलाश वगैरह (2025/202) यह अपील श्री शौकिन्दलाल गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस की पुश्तैनी खातेदारी की काश्तकारी की आराजीयात है किन्तु अवैध इन्द्राज की आड में अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने एवं विवादित आराजीयात को रहन, बेचान एवं मुंतकिल करने भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तन, निर्माण करने पर सख्त आमादा है, जिसमें यदि वे सफल हो गयी तो अपीलांट अपनी पुश्तैनी तन्हा खातेदारी की आराजीयात से महरूम हो जायेगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम हासियावास, पटवार हल्का–बबायचा, भू अभिलेख निरिक्षक अरडका, तहसील व जिला अजमेर में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 432 रकबा 0.34 है, खसरा संख्या 434 रकबा 0.67, खसरा संख्या 433 रकबा 0.01 है0 स्थित है, जो प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण पूर्वज बोदू पुत्र हरलाल की सहखातेदारी/काश्तकारी के हक हिस्से की आराजीयात है, जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम अवैध इन्द्राज की आड में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलअन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने एवं विवादित आराजीयात को रहन, बेचान एवं मुंतकिल करने, भूमि की किस्म एवं भूमि की शक्ल को खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 01 को अन्य अजनबी व्यक्ति को ताफैसला अपील पाबंद फरमाने के आदेश प्रदान करावें। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति तथा अपील एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे दिनांक 24.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशीयां दी जाती रही। दिनांक 21.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 04 से 12 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया एवं उभयपक्ष को सुना जाकर आदेशिका में अंकित किया कि "प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक हिस्से में दर्ज है वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 कैलाश रिकार्डेड खातेदार है उक्त आराजीयात में अप्रार्थी का हक हिस्सा है अथवा नहीं यह मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर	

लगातार....

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

तय होना है। कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।" तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के नोटिस पेश करने की हिदायत दी जाकर आगामी पेशी दिनांक 16.06.2025 नियत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें तब तक वादग्रस्त आराजीयात ग्राम हासियावास, पटवार हल्का–बबायचा, भू अभिलेख निरिक्षक अरडका, तहसील व जिला अजमेर में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 432 रकबा 0.34 है, खसरा संख्या 434 रकबा 0.67, खसरा संख्या 433 रकबा 0.01 है0 भूमि का बेचान नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 01 को पाबंद किया जाता है। अपीलांट/प्रार्थीगण को अप्रार्थी का जवाब पेश होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर आवश्यक रूप से बहस हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned with CamScanner